भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

138

मानीनय सदस्य महोदय रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर केम्प, इन्दौर समक्ष

PBR/निगरानी/बड़वानी/भू.रा/2018/0229

निगरानी प्रकरण क्रमांक ....

प्रस्तुति दिनांक 6/12/17

देवकीबाई पति संतोष यादव

निवासी नवलपुरा, बड़वानी (म.प्र.) ----निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1) शिवशंकर पिता भागीराम यादव

2) भागीरथ पिता शिवराम यादव,

3) विट्ठल पिता शिवराम यादव

तीनो निवासी ग्राम पिपरी, तह. व जिला बड़वानी

4) सेवंतीबाई पति देवराम

निवासी ग्राम धनोरा, तह. जिला बड़वानी

5) यशोदाबाई पति कुंवरजी यादव

निवासी तलवाड़ा डेब, तह. अंजड़ जिला बड़वानी ----प्रतिप्रार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री विजय जोशी
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 06-12-2017
को प्रस्तुत।
586
06-12-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

:: निगरानी निगरानीकर्ता की ओर से धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के तहत::

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त महोदय इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 399/16-17 दिनांक 10/07/2017 को ग्राह्यता के बिन्दु पर निरस्त कर दिये जाने से असंतुष्ट होकर उक्त आदेश को निरस्त किये जाने बाबद यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

निगरानी के तथ्य -

निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 से लगायत 5 तक निगरानीकर्ता के भाई एवं बहन होकर स्व. शिवराम पिता

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.पीबीआर/निगरानी/बडवानी/भूरा/18/0229 जिला-बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21-2-2018	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-7-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को निर्देशित किया गया कि उभयपक्ष के मध्य विवादित प्रश्नाधीन भूमि तथा अन्य भूमियों के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद का दिनांक 13-8-2015 को निराकरण किया गया, इसलिये सिविल न्यायालय के उक्त निर्णय के पालन में तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये आवेदक स्वतंत्र है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	